



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की

वाराणसी जोन

के अन्तर्गत

प्रयागराज की अनावासीय सम्पत्तियों की



सामान्य नीलामी



सामान्य नीलामी तिथि:

24.09.2021

समय : प्रातः 10:00 बजे



सामान्य नीलामी स्थल :

कार्यालय – उप आवास आयुक्त, वाराणसी जोन, आवास विकास परिषद,
ऑफिस काम्पलेक्स, जवाहर नगर भेलूपुर, वाराणसी

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियाँ

चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना (मेंहदौरी), प्रयागराज

क्रम सं०	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	आरक्षित मूल्य	अनुमानित मूल्य	टोकन मनी	आरक्षण
1	दुकान सं० बी०एस०-3	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
2	दुकान सं० बी०एस०-4	बेसमेंट दुकान	12.33	2317900.00	2317900.00	232000.00	अनारक्षित
3	दुकान सं० बी०एस०-5	बेसमेंट दुकान	12.33	2317900.00	2317900.00	232000.00	अनारक्षित
4	दुकान सं० बी०एस०-6	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
5	दुकान सं० बी०एस०-7	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
6	दुकान सं० बी०एस०-8	बेसमेंट दुकान	12.26	2306700.00	2306700.00	231000.00	अनारक्षित
7	दुकान सं० बी०एस०-9	बेसमेंट दुकान	15.23	2863000.00	2863000.00	286000.00	अनारक्षित
8	दुकान सं० बी०एस०-10	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
9	दुकान सं० बी०एस०-11	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
10	दुकान सं० बी०एस०-12	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
11	दुकान सं० बी०एस०-13	बेसमेंट दुकान	12.33	2317900.00	2317900.00	232000.00	अनारक्षित
12	दुकान सं० बी०एस०-14	बेसमेंट दुकान	12.33	2317900.00	2317900.00	232000.00	अनारक्षित
13	दुकान सं० बी०एस०-15	बेसमेंट दुकान	11.60	2179500.00	2179500.00	218000.00	अनारक्षित
14	दुकान सं० जी०एस०-9	बेसमेंट दुकान	15.23	3969000.00	3969000.00	397000.00	अनारक्षित
15	दुकान सं० जी०एस०-10	बेसमेंट दुकान	11.60	3023000.00	3023000.00	302000.00	अनारक्षित

Covid-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिशा-निर्देश

- 1 समस्त आवेदकों / बोलीदाताओं को केंद्र / राज्य तथा परिषद द्वारा **covid-19** संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- 2 नीलामी स्थल पर सिर्फ बोलीदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति अनुमन्य है, अन्य किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी।
- 3 एक समय में एक ही योजना हेतु नीलामी की प्रक्रिया निष्पादित की जाएगी, अन्य योजनाओं से सम्बंधित बोलीदाता नीलामी स्थल पर उपस्थित नहीं रहेंगे, जिस योजना हेतु नीलामी की प्रक्रिया निष्पादित हो रही है अथवा होने जा रही है उसकी जानकारी ध्वनि-प्रसारक यन्त्र के माध्यम से लगातार प्रसारित की जाएगी।
- 4 यदि 1 ही योजना में अधिक संख्या में भूखण्ड / भवन प्रस्तावित हैं तथा उनके सापेक्ष ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं तो एक समय में 5-5 भूखंडों की ही नीलामी प्रक्रिया संपन्न करायी जाएगी तथा उनके सापेक्ष आवेदकों / बोलीदाताओं को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।
- 5 जोनल आयुक्त, जहाँ पर एक से अधिक दिन नीलामी संपन्न होनी है वहाँ पर स्वयं के विवेकानुसार अलग-2 दिवस हेतु योजना / संपत्ति कार्यालय का चयन कर लेंगे, जिससे की एक समय में 50 से ज्यादा आवेदक / बोलीदाता नीलामी स्थल पर उपस्थित न हो पायें, तथा इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर अवश्य चस्पा करेंगे।
- 6 इसके अलावा जोनल आयुक्त कार्य संचालन तथा महामारी से बचाव हेतु अपने स्तर से भी उचित निर्णय लिया जायेगा जो नीलामी संपन्न कराने तथा महामारी से बचाव हेतु उचित होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें :

- 1 समस्त नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं विनियमों के प्रविधानों के अनुसार की जायेगी।
- 2 सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रू० 107 (GST सहित) जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं
- 3 आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 5% एवं व्यवसायिक/अनावासीय सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10% धनराशि का Bank Draft/RTGS/NEFT जो 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर (आवेदन पत्र आवंटन तिथि से दो दिन पूर्व तथा सीलड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05.00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय में जमा करना होगा। चेक/नकद स्वीकार नहीं होगा। नीलामी की तिथि को प्रातः 10:30 बजे से टोकन निर्गत किये जायेंगे। प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नीलामी प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् उक्त योजना व सम्पत्तियों का टोकन निर्गत नहीं किया जाएगा।
- 4 सशर्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5 शासनादेश के अन्तर्गत GST की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी उसका भुगतान अलग से करना होगा।
- 6 नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र / Power of attorney notary द्वारा सत्यापित हो।
- 7 सम्पत्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
- 8 किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों
एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा
अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें-

टोल-फ्री: 1800-180-5333 दूरभाष: 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में
प्रातः 10:00 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है